



आप्रवास और वदेशियों वषियक अधनियम, 2025

स्रोत: बजिनेस स्टैंडर्ड

आप्रवास और वदेशियों वषियक अधनियम, 2025 (The Immigration and Foreigners Act, 2025) 1 सितंबर, 2025 से प्रभाव में आ गया है। यह अधनियम भारत के आव्रजन संबंधी कानूनों को एकीकृत करता है, जाली दस्तावेजों के लिये कठोर दंड का प्रावधान करता है वदेशियों की नगिरानी एवं रपिर्गि की व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाता है।

- यह चार पुराने और अप्रचलित कानूनों को नरिसत करता है: **पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधनियम, 1920**, **वदेशियों का पंजीकरण अधनियम, 1939**, **वदेशियों वषियक अधनियम, 1946** और **आव्रजन (वाहक देयता) अधनियम, 2000**।

आप्रवास और वदेशियों वषियक अधनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- **जाली यात्रा दस्तावेजों के लिये कठोर दंड:** जाली पासपोर्ट, वीजा या अन्य यात्रा दस्तावेजों का उपयोग करने या आपूर्ति करने पर 2-7 वर्ष का कारावास और 1-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
 - वैध अनुमति के बिना प्रतर्बिधति क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले वदेशियों के लिये **5 वर्ष तक का कारावास या 5 लाख रुपये** का जुर्माना हो सकता है।
- **वदेशियों के वविरण की अनवार्य रपिर्गि:** होटलों, वषिववदियालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम को अपने यहाँ रहने वाले या आने वाले वदेशी नागरिकों के बारे में जानकारी देनी होगी।
 - अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों और शपिंग कंपनियों को आगमन से पहले यात्रियों और **चालक दल का डेटा साझा** करना आवश्यक है।
- **परसिरों पर सरकारी नथितरण:** सुरक्षा कारणों से आवश्यक समझे जाने पर, केंद्र सरकार को वदेशियों द्वारा अक्सर दौरा कथि जाने वाले **परसिरों** को वनियमति करने या बंद करने का अधिकार है।
- **आप्रवासन ब्यूरो:** यह अधनियम **आप्रवासन ब्यूरो** (जो 1971 में खुफिया ब्यूरो के तहत स्थापति) को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, जिससे ब्यूरो को अवैध वदेशियों की पहचान करने, उन्हें हरिसत में लेने और देश से नरिवासति करने का अधिकार मलित है।

क्या आप जानते हैं?

- **अमेरिका:** आतंकवादी समूहों से जुड़े व्यक्तियों की पहचान करने और उनके वीजा रद्द करने के लिये **कृत्रमि बुद्धमितता (AI)** उपकरणों का उपयोग करते हुए **“कैच एंड रवोक” (Catch and Revoke)** नामक पहल शुरू की गई है।
- **ऑस्ट्रेलिया:** सुरक्षा जोखमि माने जाने वाले गैर-नागरिकों को **हरिसत** में रखने की अनुमति देता है, लेकिन राज्यवहीन (Stateless) व्यक्तियों को अनश्चित काल तक हरिसत में रखने पर रोक है, जब तक कउनके नरिवासन की संभावना न हो।
- **खाडी देश:** सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत ने सुरक्षा कारणों से हजारों प्रवासी शर्मिकों को नरिवासति कथि है, और अक्सर अपील के लिये सीमति वकिल्प उपलब्ध कराए गए हैं।

और पढ़ें: **भारत में शरणार्थी, नरिवासन और संबंधति मुद्दे**